वसुधैव कुटुम्बकम
ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

टेलीफोन: (033) 2223-0248
फैक्स: (033) 2223-0336
ई-मेल: seo.kol-ship@gov.in
वेबसाइट: www.dgshipping.gov.in

सत्यमेव जयते
भारत सरकार/Government of India
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
नौवहन महानिदेशालय/ Directorate General of Shipping
नाविक रोजगार कार्यालय/SEAMEN'S EMPLOYMENT OFFICE
"मरीन हाउस", हेस्टिंग्स/"Marine House", Hastings,
कोलकाता/Kolkata- 700 022

Telephone: (033) 2223-0248
Fax: (033) 2223-0336
E-mail: seo.kol-ship@gov.in
website: www.dgshipping.gov.in

सं०: एसईओ/3/2022-एसईओ-कोलकाता **दिनांक: 26.02.2026**

आदेश

जबकि मेसर्स सर्वमंगला मरीन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड को मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के तहत निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता द्वारा 21.09.2020 से 04.06.2025 की अवधि के लिए आरपीएस लाइसेंस सं. आरपीएसएल-केओएल-009/2015 जारी किया गया है ।

2. जबकि, मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, आरपीएसएल-केओएल-009/2015 नीचे दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है:-

क) कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार, आरपीएस एजेंसी ने अभी तक आवश्यक वार्षिक निरीक्षण नहीं करवाया है । (पिछला वार्षिक निरीक्षण (पहली निर्धारित वार्षिक लेखापरीक्षा) 31.05.2022 को किया गया था)। अतः, आरपीएस एजेंसी डीजीएस क्रू शाखा के परिपत्र सं. 03/2016 के पैरा 1.8 जिसे एमएस नोटिस सं. 06/2018 के रूप में पढ़ा जाए, के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है ।

ख) इसके अतिरिक्त, 11 सितंबर 2023 को धनबाद, झारखंड में आरपीएस एजेंसी मेसर्स सर्वमंगला मरीन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड, आरपीएसएल-केओएल-009/2015 का एक संयुक्त विशेष/औचक निरीक्षण एमएस आरपीएसएल नियम 2016 के नियम 7(5), 7(6) और 7(7) के प्रावधानों के तहत एमएमडी कोलकाता के एक अधिकारी, डीएसईओ, कोलकाता के एक अधिकारी और आईआरएस (आरओ प्रतिनिधि) के 01 अधिकारी वाले अधिकारियों की एक टीम द्वारा निर्धारित किया गया था । हालांकि, यह निरीक्षण पूरा नहीं हो सका क्योंकि पंजीकृत पते के अनुसार आरपीएस एजेंसी का कार्यालय बंद पाया गया और आरपीएस एजेंसी के निदेशक ने भी निरीक्षक टीम के टेलीकॉन का कोई जवाब नहीं दिया ।

ग) और जबकि, मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को एसईओ, कोलकाता के दिनांक 20.09.2023 के पत्र सं. एसईओ/2/2021-एसईओ-कोलकाता के माध्यम से लंबित वार्षिक निरीक्षण/शिकायतों के बारे में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । प्रतिउत्तर में, आरपीएस एजेंसी ने दिनांक 05.10.2023 के पत्र सं. एसएमएपीएल/एससी/02/2023 के माध्यम से जवाब दिया है, जोकि संतोषजनक नहीं पाया गया है ।

घ) अतः, इस कार्यालय ने दिनांक 22.11.2023 को एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की, और आरपीएस एजेंसी ने एक वचनपत्र दिया कि 15 दिनों में सभी कमियों को पूरा कर लिया जाएगा । परंतु, वर्तमान तक, उन्होंने उक्त का अनुपालन/समाधान नहीं किया है ।

-अगले पृष्ठ -2 पर जारी-

3. इसके अतिरिक्त, नाविकों ने आरपीएस एजेंसी 'मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड' (आरपीएसएल-केओएल-009/2015) के विरुद्ध इस कार्यालय में निम्न शिकायतें दर्ज की हैं । विवरण इस तरह हैं:-

क्रम सं.	नाविक का नाम	प्राप्ति(ई-मेल द्वारा)	से संबंधित है	टिप्पणी
01.	संदीप कुमार रवि, इंडोस : 11एनएल0987	31.05.2023	मजदूरी/वेतन	दिनांक 22.11.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हुई, जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि ने भरोसा दिलाया कि वह 15 दिनों में समाधान कर देंगे, परंतु मामला अभी भी अनिर्णीत है । अतः, दिनांक 20.11.2024 और 08.01.2025 को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हुई, परंतु मामला आज तक अनिर्णीत है ।
02.	संतोष प्रजापति, इंडोस : 21जेडएम4866	03.10.2023 (क्रू शाखा द्वारा)	नाविक की मृत्यु पर सेवांत हितलाभ निपटारा नहीं हुआ ।	आरपीएस के निदेशक के साथ दिनांक 22.11.2023 को व्यक्तिगत सुनवाई हुई और निदेशक ने कहा कि नाविक को सीधे जहाज मालिक ने काम पर रखा था और आरपीएस उससे जुड़ा नहीं है । हालांकि, आरपीएस कंपनी, सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 06.10.2022 को ई-माइग्रेशन प्रक्रिया में ई-माइग्रेशन प्रणाली में पाया गया कि आरपीएस कंपनी ने दिनांक 19.06.2023 को "कार्यभार ग्रहण करने से मना करने" का कारण बताते हुए इस प्रविष्टि को रद्द कर दिया ।
03.	मोहम्मद शाहनवाज़, इंडोस : 22जीएम1115	21.11.2023	साइन ऑफ तिथि का अद्यतन	दिनांक 20.11.2024 से 08.01.2025 तक व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिसमें आरपीएस एजेंसी को इस मुद्दे को सुलझाने का निदेश दिया गया; परंतु आज तक यह मुद्दा सुलझा नहीं है ।
04.	अहमद शमशाद, इंडोस : 23जेडएम3113	21.11.2023	साइन ऑफ तिथि का अद्यतन	दिनांक 20.11.2024 से 08.01.2025 तक व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिसमें आरपीएस एजेंसी को इस मुद्दे को सुलझाने का निदेश दिया गया; परंतु आज तक यह मुद्दा सुलझा नहीं है ।
05.	मोहम्मद नवाफ़, इंडोस : 17जीएल4153	21.12.2023	वेतन, अनुबंध पत्र जारी न करना, साइन ऑफ तिथि अद्यतित न करना	दिनांक 20.11.2024 से 08.01.2025 तक व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिसमें आरपीएस एजेंसी को इस मुद्दे को सुलझाने का निदेश दिया गया; परंतु आज तक यह मुद्दा सुलझा नहीं है ।
06.	मोहम्मद शाकिर, इंडोस: 22जेडएन3441	18.03.2024	साइन ऑफ तिथि अद्यतित नहीं की गई है	दिनांक 20.11.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हुई, जिसमें आरपीएस एजेंसी ने इस ज़िम्मेदारी से इनकार कर दिया । हालांकि, प्रपत्र-1 मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बनाया गया है ।

07.	श्री चिराग पॉल, इंडोस सं. 22एमजी4317	22.07.2024	साइन ऑफ तिथि अद्यतित नहीं की गई है	दिनांक 18.09.2024 को व्यक्तिगत सुनवाई हुई, जिसमें आरपीएस एजेंसी ने कहा कि वे नाविक श्री चिराग पॉल को नहीं जानते । इसके अतिरिक्त, नाविक श्री चिराग पॉल ने बताया कि 'एमवी शांतिया' जहाज़ पर उनकी तैनाती रही है, जबकि जहाज़ आरपीएस के प्रबंधन में नहीं है और प्रपत्र-I को मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अद्यतित किया गया है, जोकि अलग जहाज़ एमवी बेसल एथेना है ।

4. और जबकि, आरपीएस एजेंसी ने दिनांक 04.03.2025 के ईमेल से ई-गवर्नेंस पोर्टल पर एक संदर्भ संख्या जारी करने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे वार्षिक निरीक्षण कर सकें । परिणामस्वरूप, इस कार्यालय ने आरपीएस से लंबित शिकायतों और अन्य मामलों की स्थिति का ब्यौरा देने के लिए अनुरोध किया है ।

5. और जबकि, आरपीएस एजेंसी, मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 07.07.2025 के ईमेल के ज़रिए बताया है कि श्री संदीप कुमार रवि के वेतन का निपटारा हो गया है और वेतन के निपटारे का एनओसी/दस्तावेज़ी साक्ष्य दिए बिना ही इसे बंद कर दिया गया है । मो. शाकिर, मो. शहनवाज, श्री शमशाद अहमद और मो. नवफ़ के मामले में, आरपीएस एजेंसी का दावा है कि नाविकों को न तो उन्होंने तैनात किया था और न ही उन्हें तैनाती के लिए आवश्यक दस्तावेज़ या अनुबंध पत्र दिया था । हालाँकि, आरपीएस द्वारा प्रपत्र-1 सृजित किया गया है ।

6. जबकि, पुनः, इस कार्यालय द्वारा आरपीएस एजेंसी मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 05.12.2025 के पत्र सं.- एसईओ/3/2022-एसईओ-कोलकाता के माध्यम से “कारण बताओ नोटिस” जारी किया था ।

7. और जबकि, इस मामले में अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 21.01.2026 को आरपीएस एजेंसी मेसर्स सर्वमंगला मरीन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड के साथ आयोजित की गई थी और 15 दिनों के भीतर सभी लंबित शिकायतों का निपटारा करने का निदेश दिया गया था; नवीनीकृत बैंक गारंटी मूल रूप में जमा करें; और 15 दिनों के भीतर दिनांक 05.12.2025 के कारण बतओ नोटिस का पैरावार जवाब दें । परंतु, वर्तमान तक, आरपीएस एजेंसी ने न तो लबिंत शिकायतों के निपटारे के बारे में कोई टिप्पणी/स्पष्टीकरण दिया है और न ही नवीनीकृत की गई बैंक गारंटी वास्तविक रूप में दी है । इसके अतिरिक्त, कारण बताओ नोटिस का पैरावार जवाब भी तय समय-सीमा के भीतर नहीं मिला है ।

8. और जबकि, एक नाविक श्री हुसैन आकिब आसिफ, इंडोस सं.- 22जीएम0093 से भी दिनांक 05.02.2026 को ईमेल के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई । जिसे आरपीएस एजेंसी को ईमेल दिनांक 06.02.2026 और उसके पश्चात अनुस्मारक ई-मेल दिनांक 09.02.2026 और 16.02.2026 के माध्यम से उनके पैरावार/बिंदुवार टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था । हालाँकि, अभी तक आरपीएस एजेंसी से कोई जवाब नहीं मिला है ।

9. और जबकि, आरपीएस एजेंसी ने दूसरा, तीसरा, चौथा वार्षिक निरीक्षण और आरपीएस नवीनीकरण निरीक्षण नहीं किया है ।

10. और जबकि, आरपीएस प्रोफ़ाइल को आरपीएस एजेंसी द्वारा अद्यतित नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त, आरपीएस के पंजीकृत पते पर तीव्रडाक से भेजा गया पत्र डाक कार्यालय ने इस कार्यालय को वापस कर दिया ।

11. और जबकि, मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण इस आरपीएस का ऑनलाइन विशेषाधिकार दिनांक 05.10.2023 से ब्लॉक कर दिया गया है ।

12. और जबकि, जाँच करने पर यह पाया गया कि आरपीएस मेसर्स सर्वमंगला मरीन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड के जवाब संतोषजनक नहीं हैं और एमएस (आरपीएस) नियम 2016 के उप नियम 5(ए), 5(सी), 5(ई), 5(एफ), 5(जे), 5(एम), 5(डब्ल्यू), 9 और 16 का उल्लंघन कर रही है ।

13. उपरोक्त के मद्देनजर, निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता द्वारा मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 12 के प्रावधान के तहत भर्ती और नियुक्ति सेवा लाइसेंस धारित संख्या-

आरपीएसएल-केओएल-009/2015 को तत्काल प्रभाव से **वापस** लिया जाता है । मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रबंधन निदेशक और इस कंपनी के सभी निदेशक, उन नाविकों के सभी लंबित बकाया के लिए ज़िम्मेदार बने रहेंगे, जिन्हें उन्होंने पहले ही भर्ती कर लिया है, जब तक कि वे भारत वापस नहीं आ जाते और सभी देनदारियाँ, अगर कोई हों, पूरी नहीं हो जातीं ।

14. मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को यह आदेश दिया जाता है कि वे भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर आज की तारीख तक उनके द्वारा भर्ती किए गए नाविकों का पूरा विवरण हार्ड और सॉफ्ट प्रति में इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में जमा करें ।

15. मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को यह भी निदेश दिया गया है कि वे भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर भर्ती किए गए और तैनात किए गए सभी भारतीय नाविकों के सभी बकाया भुगतान यानी लेवी फीस, एसडब्ल्यूएफएस बकाया और एसपीएफओ बकाया का भुगतान करें और भुगतान का सबूत जल्द से जल्द इस कार्यालय में जमा करें ।

16. मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मेसर्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा जारी की गई 15,00,000/- रुपये (पंद्रह लाख रुपये मात्र) की बैंक गारंटी, मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एमएस(आर एवं पीएस) नियम 2016 के मौजूदा नियमों के उल्लंघन/चूक की वजह किसी भी अचानक होने वाले मामले के लिए इस कार्यालय द्वारा अवलंब की जाती है ।

17. यदि मेसर्स सर्वमंगला मरीन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड इस पारित आदेश से व्यथित है, तो वह इस आदेश की प्राप्ति के तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 19(1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता को अपील कर सकते हैं । [यह ध्यातव्य है कि मर्चेंट शिपिंग (नाविकों की भर्ती और नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 19 (1) के तहत उल्लिखित नियम 18 को राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 169 (ई) दिनांक 15.02.2016 में नियम 12 के रूप में पढ़ा जाना है]

18. इसे निदेशक, नाविक रोजगार कार्यालय, कोलकाता के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

उप निदेशक
<u>कृते निदेशक</u>

सेवा में,
मेसर्स सर्वमंगला मरीन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
201/206 न्यू मार्केट, बैंक मोड़, धनबाद
झारखंड - 826001
ई-मेल:- cpt.manishsingh@gmail.com

<u>प्रतिलिपि:</u>

1. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई (क्रू शाखा/प्रशिक्षण शाखा) ।
2. प्रधान अधिकारी, एमएमडी, कोलकाता/चेन्नई/मुंबई/कोच्चि/कांडला ।
3. निदेशक, एसईओ, मुंबई/चेन्नई ।
4. नाविक पाल, सरकारी नौवहन कार्यालय, चेन्नई/मुंबई ।
5. डीडीजी (ई-गवर्नेंस), नौवहन महानिदेशालय, मुंबई - मेसर्स सर्वमंगला मरीन अकादमी प्राइवेट को दी गई ई-माइग्रेशन और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं को वापस लेने के अनुरोध के साथ ।
6. कंप्यूटर सेल, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि इसे डीजीएस वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए ।
7. मनीष कुमार सिंह, निदेशक, मेसर्स सर्वमंगला मरीन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड, निचितपुर टाउनशिप, ईस्ट बसुरिया, पोस्ट ऑफिस- बांसजोरा, धनबाद, झारखंड ।

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

टेलीफोन: (033) 2223-0248
फैक्स: (033) 2223-0336
ई-मेल: seo.kol-ship@gov.in
वेबसाईट: www.dgshipping.gov.in

सत्यमेव जयते
भारत सरकार/Government of India
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
नौवहन महानिदेशालय/ Directorate General of Shipping
नाविक रोजगार कार्यालय/SEAMEN'S EMPLOYMENT OFFICE
"मरीन हाउस", हेस्टिंग्स/"Marine House", Hastings,
कोलकाता/Kolkata- 700 022

GLOBAL MARITIME INDIA SUMMIT 2023

Telephone: (033) 2223-0248
Fax: (033) 2223-0336
E-mail: seo.kol-ship@gov.in
website: www.dgshipping.gov.in

सं0/No : SEO/3/2022-SEO-KOLKATA

दिनांक/Date : 26.02.2026

ORDER

Whereas M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd., has been issued with RPS License bearing No. RPSL-KOL-009/2015 for the period 21.09.2020 to 04.06.2025 by the Director, Seamen's Employment Office, Kolkata under Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016.

2. Whereas, M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd., RPSL-KOL-009/2015 has failed to comply the following provision:-

a) As per office records RPS Agency has not undertaken due Annual Inspection till date. (Last Annual Inspection(1st scheduled annual audit) was carried out on 31.05.2022). Hence, RPS Agency is in violation of provision of Para 1.8 of DGS Crew Branch Circular 03 of 2016 read with MS Notice 06 of 2018.

b) Further, A joint Special /Surprise inspection of RPS Agency M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd., RPSL-KOL-009/2015 at Dhanbad Jharkhand was scheduled on 11.09.2023 By a team of Officers comprising of One Officer from MMD Kolkata, One Official from DSEO, Kolkata & 01 official from IRS (RO representative) under the provisions of Rule 7(5), 7(6) and 7(7) of MS RPSL Rules 2016. However the said inspection could not be completed as the office premises of the RPS Agency as per registered address was found closed and Director of RPS Agency also not responded to Telecon of inspecting team.

c) And whereas, a Show Cause Notice was issued to M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd vide SEO, Kolkata's letter no. SEO/2/2021-SEO-Kolkata dated 20.09.2023 regarding the pending annual inspection/grievances. In response, RPS Agency has replied vide letter no. SMAPL/SC/02/2023 dated 05.10.2023, which is not satisfactory.

d) Hence, a Personal Hearing was conducted on 22.11.2023 by this office and RPS Agency had submitted an undertaking that all lapses will be complied within 15 days. However, till date it is not complied/ resolved.

3. Further, following grievances/complaints has been registered from the seafarers against RPS Agency 'M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd.' (RPSL-KOL-009/2015) to this office. Details are as follows:-

Sr. No.	Name of Seafarer	Received on (via email)	Pertains to	Remarks
01.	Sandeep Kumar Ravi, Indos : 11NL0987	31.05.2023	Wages/Salary	Personal Hearing was conducted on 22.11.2023, wherein, company's representative assured that he will clear in 15 days, however matter remains unresolved. Hence, Personal Hearing was again conducted on 20.11.2024 & 08.01.2025, however issue remains unresolved till date
02.	Santosh Prajapati, Indos : 21ZM4866	03.10.2023 (Via crew Branch)	Terminal benefit on Death of seafarer not settled.	Personal Hearing with the Director of the RPS was conducted on 22.11.2023 and it was stated by the Director that the seafarer was directly employed by the owner and the RPS is not associated with him. However, e-Migration process with RPS Company, Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd, on 06.10.2022 found in e migration system which RPS Company cancelled this entry on 19.06.2023 with the reason "Refused to Join".

Contd. to Page No.-2

03.	Mohammad Shahnwaz, Indos : 22GM1115	21.11.2023	Updation of Sign off	Personal Hearing was conducted on 20.11.2024 & 08.01.2025 wherein RPS agency was directed to resolve the issue, however issue remains unresolved till date
04.	Ahmad Shamshad, Indos : 23ZM3113	21.11.2023	Updation of Sign off	Personal Hearing was conducted on 20.11.2024 & 08.01.2025, wherein RPS agency was directed to resolve the issue, however issue remains unresolved till date.
05.	Mohd Navaff, Indos : 17GL4153	21.12.2023	Wages, not issuing contract letter, not updating sign off date	Personal Hearing was conducted on 20.11.2024 & 08.01.2025, wherein RPS agency was directed to resolve the issue, however issue remains unresolved till date
06.	Mohd. Shakir, Indos 22ZN3441	18.03.2024	not updating sign off date	Personal Hearing was conducted on 20.11.2024, wherein RPS agency has denied the obligation. However, Form-1 is generated with the name of M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd.
07.	Shri Chirag Paul, INDoS No.- 22MG4317	22.07.2024	not updating sign off date	Personal hearing was conducted on 18.09.2024 wherein, RPS Agency has stated that they do not know seafarer Mr. Chirag Paul. Further, Seafarer Mr. Chirag Paul declared that he has sailed on the vessel 'MV Shantia' wherein the vessel is not under the management of the RPS and Form-I is updated in the name of M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd. for the different vessel MV Basel Athena.

4. And whereas, RPS agency has requested vide email dated 04.03.2025for issuance of a reference number on the e-governance portal to enable them to proceed with the annual inspections. In turn this office has requested the RPS for the update on the pending grievances and other matters.

5. And whereas, the RPS Agency, M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd., vide email dated 07.07.2025, has stated that the salary of Shri Sandeep Kumar Ravi has been settled and closed without furnishing NOC/documentary evidence of settlement of wages. In the matter of Md. Shakir, Md. Shanwaj, Mr. Shamshad Ahmed and Md. Navaff, RPS Agency claims that the seafarers were neither deployed by them and nor provided the requisite documents or contract letter for joining. However, form 1 found generated by the RPS.

6. Whereas, again a "Show Cause Notice" was issued to RPS Agency M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd. by this office vide letter no. - SEO/3/2022-SEO-KOLKATA dated 05.12.2025.

7. And whereas, a final Personal Hearing in the matter was conducted on 21.01.2026 with RPS Agency M/S Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd. and directed to Settle all pending grievances within 15 days; submit the renewed Bank Guarantee in original; and Para-wise reply to the SCN dated 05.12.2025 within 15 days. However, as on date, the RPS agency has neither submitted any comments/clarification regarding settlement of pending grievances nor furnished the renewed Bank Guarantee in original. Further, para-wise reply to the SCN has also not been received within the stipulated time.

8. And whereas, a Grievance also received from a seafarer Shri Hussain Akib Asif, INDOS No.- 22GM0093 via email dated 05.02.2026. Same was forwarded to the RPS Agency vide email dated 06.02.2026 & subsequent reminders dated 09.02.2026 & 16.02.2026 respectively for their para wise/ point wise comments. However, till date no any reply is received from the RPS Agency.

9. And whereas, the 2nd, 3rd, 4th annual inspections and RPS renewal inspection has not been undertaken by the RPS agency.

Contd. to page No.-3

10. And whereas, the RPS profile is not updated by the RPS agency. Further, the letter which was sent to the RPS registered address by speed post was returned by the Post Office to this office.

11. And whereas, the online privilege of this RPS has been blocked w.e.f. 05.10.2023 due to non compliance of guidelines of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016.

12. And whereas, upon scrutiny, it is observed that the replies of the RPS M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt Ltd. are not satisfactory and is violating sub rule 5(a), 5(c), 5(e), 5(f), 5(j), 5(m), 5(w), 9 and 16 of MS(RPS) Rule 2016.

13. In view of above, the Director Seamen's Employment Office, Kolkata under the provision of Rule 12 of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016 hereby **withdraw** the Recruitment and Placement Service Licence Bearing No. RPSL-KOL-009/2015 with immediate effect. M/s. Sarwamangla Marine Academy Pvt Ltd. and its Managing Director and all Directors of this company are continued to remain liable for all the pending dues to the seafarers who have already been recruited by them till their repatriation to India and clearance of all the liabilities, if any.

14. M/s. Sarwamangla Marine Academy Pvt Ltd. is hereby, directed, to submit complete details of the seafarer recruited by them as on date onboard Indian and foreign flag vessels in hard & Soft copy to this office within 15 days from the date of issue of this order.

15. M/s. Sarwamangla Marine Academy Pvt Ltd. is also directed to make all the due payments i.e Levy fees, SWFS dues and SPFO dues in respect of all the Indian Seafarers recruited and placed onboard Indian and foreign flag vessels and furnish the proof of payments to this office as soon as possible.

16. The submitted Bank Guarantee amounting to Rs 15,00,000/- (INR Fifteen Lakh Only) issued by M/s HDFC Bank Limited of M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt Ltd. is hereby invoked by this office for any contingent issue due to default/violation of extant provisions of MS(R&PS) Rules 2016 by M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt Ltd.

17. If, M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt Ltd. is aggrieved by this order passed, may within a period of thirty (30) days of receipt of this order, may appeal to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Kolkata being First Appellate Authority in accordance with Rules 19(1) of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016. [It may be noted that Rules 18 mentioned under Rules 19(1) of Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2016 is to be read as Rule 12 view typographical error in Gazette Notification No. G.S.R. 169 (E) dated 15.02.2016].

18. This issues with the approval of Director, Seamen's Employment Office, Kolkata.

Dy. Director
For Director

To,
M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd.
201/206 New Market, Bank More, Dhanbad
Jharkhand - 826001
E-mail: - **cpt.manishsingh@gmail.com**

Copy to:
1. The Directorate General of Shipping, Mumbai (Crew Branch/ Training Branch).
2. The Principal Officer, MMD, Kolkata/Chennai/Mumbai/ Kochi/Kandla.
3. The Director, SEO, Mumbai/Chennai.
4. The Shipping Master, Govt. Shipping Office, Chennai/Mumbai.
5. The DDG (E-Governance), DG Shipping, Mumbai - with a request to withdraw e-migration & other online facilities given M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd.
6. Computer Cell, DG Shipping, Mumbai, with a request to publish the same on the DGS website.
7. MANISH KUMAR SINGH, Director, M/s Sarwamangla Marine Academy Pvt. Ltd., NICHITPUR TOWNSHIP, EAST BASURIA, PO- BANSJORA, DHANBAD, JHARKHAND.